

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: - एफ4 (क्षे.का.ज)/आकाशि/2011/72

दिनांक 12/09/2011

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: एफ 4(13) क्षे.का.ज./आकाशि/2011/24 दिनांक 17.08.2011 के द्वारा निम्न अनुदानित महाविद्यालयों से आये अशैक्षणिक कार्मिकों को उनके समक्ष दर्शाये गये राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, के क्रम में निम्नानुसार परिवर्तित कर कॉलम 4 में वर्णित राजकीय महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

| जिले का नाम | अनुदानित महाविद्यालय का नाम जिसके कर्मचारी कॉलम 4 में वर्णित राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति देंगे। | पूर्व में आवंटित राजकीय महाविद्यालय | राजकीय महाविद्यालय का नाम जहाँ उपस्थिति देनी है। |
|-------------|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| नागौर | कुचामन कॉलेज, कुचामन सिटी, नागौर | राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी, नागौर | राजकीय बांगड महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर) |
| भीलवाडा | आचार्य श्री तुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाडा) | राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, भीलवाडा | राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा |
| झुंझुनू | चिडावा कॉलेज, चिडावा, झुंझुनू | राजकीय महाविद्यालय, खेतडी (झुंझुनू) | राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू |



(सुबीर कुमार)

निदेशक


कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक: - एफ4 (क्षे.का.ज)/आकाशि/2011/72-86

दिनांक 12/09/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
12. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
13. संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/संबंधित कर्मचारी ।
14. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक